संख्या-1/2016/आडिट-318/दस-2016-322(27)/13

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी,
सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें,
नवां तल, इन्दिरा भवन,
लखनऊ।

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग लखनऊ :: दिनांक 01 मार्च, 2016

विषय:- लेखा परीक्षा आवंटन/योजना का अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-616/ले0प0-दो/प्रावि0/आवंटन/लखनऊ/दिनांक 22 जनवरी, 2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लेखा परीक्षकों के सम्परीक्षा कार्य आवंटन का अनुमोदन शासनादेश संख्या-आडिट-2660/दस-2015-322(27)2013, दिनांक 21-8-2015 (छायाप्रति संलग्न) में निर्दिष्ट व्यवस्था के अनुसार उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा किये जाने की व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। जिन जनपदों में जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद रिक्त है व उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा ही जिला लेखा परीक्षा अधिकारी का कार्य देखा जा रहा है, वहां पर आडिट कार्य आवंटन का प्रस्ताव उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा एक स्तर उपर के अधिकारी से अनुमोदित कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(राहुल भटनागर)
प्रमुख सचिव।

संख्या–आडिट2660/दस–2015–322(27)/13

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी,
सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, उ0प्र0,
नवां तल, इन्दिरा भवन,
लखनऊ।

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग लखनऊ : दिनांक 21 अगस्त, 2015

विषयः– मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें के अधीनस्थ तैनात उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारियों के कर्तब्य/ दायित्व का निर्धारण।

महोदय,

वेतन समिति (2008) के दसवे प्रतिवेदन (भाग–6) में वित्त विभाग के अन्तर्गत मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें उ0प्र0 लखनऊ के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों के कम में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें उ0प्र0 लखनऊ के लेखा संवर्ग का पुनर्गठन शासनादेश संख्या आडिट–2790/दस–2012–300(2)/12 दिनॉक 16–11–2012 के द्वारा किया गया है।

2– विभागीय पुनर्गठन के फलस्वरूप संभागीय लेखा परीक्षा अधिकारी/लेखा परीक्षा अधिकारी ग्रेड–1 वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन–5400/– के 53 पदों में से 21 पदों को उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी नाम से वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600/– में उच्चीकृत हो जाने के फलस्वरूप उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य के कुल 32 पद हो गये है। उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के 32 पदों में से प्रत्येक मण्डल में एक–एक पद होगें। संभागीय लेखा परीक्षा अधिकारी/लेखा परीक्षा अधिकारी ग्रेड–1, वेतन बैण्ड–3 ग्रेड वेतन–5400/–के शेष 32 पदो को जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/लेखा परीक्षा अधिकारी ग्रेड–2 के 87 पदों वेतन बैण्ड–3 ग्रेड वेतन रू0 5400/–के साथ आमेलित करते हुए नये संवर्ग का पद नाम जिला लेखा परीक्षा अधिकारी किया गया है।

3– उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या–एस0ए–731/ए–3000(दस)/1953 दिनॉक 30–9–1953 के द्वारा संभागीय लेखा परीक्षा अधिकारियों के कर्तब्यों एवं दायित्वों का तथा शासनादेश संख्या–आडिट–1529/दस–2001–101(51)/2000 दिनॉक 29–3–2001के द्वारा उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारियों के कर्तब्यो एवं दायित्वों का निर्धारण किया गया है।उक्त प्रस्तर–2 के अनुसार विभागीय पुनर्गठन के फलस्वरूप सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारियों को उपरोक्त शासनादेश संख्या

आडिट–1529/दस–2001–101(51)/2000 दिनॉक 29–3–2001 में निर्दिष्ट कर्तब्य एवं दायित्वों के साथ ही शासनादेश संख्या–एस0ए–731/ए–3000(दस)/1953 दिनॉक 30–9–1953 में संभागीय लेखा परीक्षा अधिकारियों के लिए निर्दिष्ट कर्तब्य एवं दायित्वों जिनका विवरण निम्नवत् है, को उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारियों में तात्कालिक प्रभाव से सन्निहित किया जाता है:–

1. Arranging for the proper and timely audit of all the cooperative institutions in the difierent districts of the range atleast once in a year.
2. Alltoment of audit work to the auditors of the range.
3. Occasional supervision to audit by inspection during the course of audit.
4. To see that the accounts are maintained in the prescribed and that no cases of fraud, embezzlements remain undetected.
5. Postings and transfers of auditors within the range.
6. Granting of casual leave to the auditors and other establishment of the range upto iv weeks.
7. Granting of other kinds of leave to auditors and other establishments of the range upto six weeks.
8. Sanctioning of annual increments to the auditors and other establishments of the range except of efficiency and withholding increments.
9. Appointment, suspention and removal etc. of the menial establishments of the range.
10. Drawing and disbursement of pay and allowances of the staff and contingent establishments of the range.
11. Recommending entries in the Character Rolls of the staff in the range.
12. Compilation and submission to Chief Audit Officer of the annual report of the range.
13. Immediataly bringing to the notice of the Chief Audit Officer all important cases of misappropriation, defalcations and embezzlements etc.
14. Super audit of some of the represcntative societies every month.
15. Any other duty which the Government or C.A.O. may entrust to the Deputy chief Audit Officers from time to time as may be considered necessary.

4– उक्त निर्णय के फलस्वरूप शासनादेश संख्या–आडिट–1529/दस–2001–101(51)/2000 दिनॉक 29–3–2001,एवं शासनादेश संख्या–एस0ए–731/ए–3000(दस)/1953 दिनॉक 30–9–1953 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(राहुल भटनागर)
प्रमुख सचिव।

संख्या–आडिट (1)/दस–2015–322(27)/13तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) प्रमुख सचिव, सहकारिता/पंचायती राज उ0प्र0 शासन।

(2) आयुक्त सहकारिता / दुग्ध / गन्ना / आवास / श्रम एवं निदेशक, पंचायती राज विभाग उ0प्र0 लखनऊ।

(3) प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0एफ0, सहकारी गन्ना विकास समिति संघ, पी0सी0डी0एफ0, यू0पी0सी0बी0, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक, सहकारी चीनी मिल संघ, यू0पी0एस0एस, यूपिका, सहकारी आवास संघ, कताई मिल संघ, पैकेफेड, लैकफेड

(4)समस्त उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, उ0प्र0।

(5)समस्त जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

(6) गार्ड फाइल

आज्ञा से

(राम किशोर पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

No.SA-731/X-3000(10)/1953.

From, Sri S.B.Mishra,M.A.,LL.B.,
Under Secretary to Government
Uttar Pradesh.

To, The Chief Audit Officer to Government,
Co-operative Societies,Uttar Pradesh,
Lucknow.

Finance(Services)Department. Dated Lucknow,September30th, 1953.

Subject:- Duties of the Regional Audit Officers,Co-operative Societies,Uttar Pradesh.

Sir,

With reference to your U.O.letter no.7791 dated May 25,1953, I am directed to forward a copy of the list of duties of the Regional Audit Officer, Co-operative Societies,Uttar Pradesh, as approved by Government for your information and communicating to all the Regional Audit Officers under your control.

Yours faithfully,
Sd/- S.B. Mishra,
Under Secretary.

Enclosure: As above.

No. SA-731(1)/X-3000(10)/1953.

Copy with a copy of the list of duties of the Regional Audit Officers forwarded for information to the

1. Registrar,Co-operative Societies,Uttar Pradesh.,Lucknow.
2. Co-operative Department of the Secretariat.

By order,
S.B. Mishra,
Under Secretary.

REGIONAL AUDIT OFFICER.

1. Arranging for the proper and timely audit of all the cooperative institutions in the different districts of the range atleast once in a year.

2. Allocation of audit work to the auditors of the range.

3. Occasional supervision of audit by inspection during the course of audit.

4. To see that the accounts are maintained in the prescribed manner and that no cases of fraud, embezzlements remain undetected.

5. Postings and transfers of auditors within the range.

6. Granting of casual leave to the auditors and other establishmen of the range upto six weeks.

7. Granting of other kinds of leave to auditors and other establishments of the range upto six months.

8. Sanctioning of annual increments to the auditors and other establishments of the range except crossing of efficiency b and withholding increments.

9. Appointment, suspension and removal etc. of the menial establishments of the range.

10. Drawing and disbursement of pay and allowances of the staff and contingent expenditure in the range.

11. Recommending entries in the Character Rolls of the staff in the range.

12. Compilation and submission to Chief Audit Officer of the annual report of the range.

13. Immediately bringing to the notice of the Chief Audit Officer all important cases of misappropriation, defalcations and embezzlements etc.

14. Super audit of some of the representative societies every month

15. Any other duty which the Government or C.A.O. may entrust to the Regional Audit Officers from time to time, as may be considered necessary.

.....